



नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २०] काठमाडौं, माघ २६ गते २०२७ साल [संख्या ४२

श्री ५ को सरकार

वन मन्त्रालय

श्री ५ को सरकारले बनाएको तल लेखिएबमोजिमको वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) नियमहरू २०२७ सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) नियमावली २०२७

वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन २०२४ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः— (१) यो नियमहरूको नाम “वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) नियमावली २०२७” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली ऐन लागू भइसकेका जिल्ला वा क्षेत्रमा तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ र हाल ऐन लागू नभएका क्षेत्रमा ऐन लागू भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा— विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यो नियमावलीमा “ऐन” भन्नाले वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन २०२४ सम्झनुपर्छ ।

३. विगो कायम गर्ने— ऐनको दफा ८ बमोजिम विगो कायम गर्दा वन ऐन २०१८ जंगली जीवजन्तु (संरक्षण) ऐन २०१५ र सो ऐनहरू अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम विगो कायम गर्नुपर्छ ।

आज्ञाले—

प्रधानमन्त्री पाण्डे

श्री ५ को सरकारको सचिव

(१)

आधिकारिकता ~~मुद्रणम्~~ प्राप्ति गावाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ ।

स्वप्नालीप्रसाद

६ अम

काशीकर रामगण्डन लिखा

१४ अप्रैल] लाभ १९०९ रु २५ रु दिवाली [०९ अम

स्वप्नालीप्रसाद

दिवाली दिवा

काशी) साकार ते किसीकालीन लिपिकाह लिखा है यह
किसीकालीन काशीकर लिखा किसीकालीन १९०९ दिवाली (दिवाली
१९०९ लिखा है यह लिखा है) साकार है

लिखा है १३ अम लि १९०९ रु (दिवाली लिखा है) साकार है
१३ लिखा है यह लिखा है लिखा है यह लिखा है लिखा है
(दिवाली लिखा है) साकार है यह लिखा है लिखा है

१३ लिखा है १९०९ दिवाली
साकार है यह लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है (१)
१३ लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है
लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है
लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है
लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है
लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है
लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है

-संक्षिप्त
लिखा है लिखा है
लिखा है लिखा है लिखा है

(१)

आधिकारिकता मुद्रण प्रियोगबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।